इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
सत्यमेव जयते
डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून / P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष/Ph.- 0135-2757316 / फैक्स/Fax- 0135-2757314,
वेबसाइट/website- www.ignfa.gov.in / ई.मेल/email- director@ignfa.gov.in

1975-1987

संख्या/No.- /2024/रा.व.अ./0.2(तिमाही बैठक-3) दिनांक/Dated: 14 .01.2025

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून की
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 90वीं बैठक का कार्यवृत्त

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की **90वीं बैठक** निदेशक महोदय की अध्यक्षता में **30.12.2024** को 10.00 बजे (पूर्वा.), अकादमी के बोर्डरूम में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया –

1. डॉ० जगमोहन शर्मा - निदेशक एवं अध्यक्ष, विभा.रा.भा.कार्या.समिति
2. श्री राज कुमार बाजपेयी - अपर निदेशक
3. श्री मुकुल त्रिवेदी - प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी - राजभाषा
4. श्रीमती सरिता कुमारी - प्राध्यापक
5. डॉ० एम० सुधागर - अपर प्राध्यापक
6. श्री कुणाल अंग्रिश - सह प्राध्यापक एवं पाठ्यक्रम निदेशक (2024-26)
7. श्री अमित कुमार रुहेला - कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

मद सं.1 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि –

बैठक का आरंभ अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ; तदुपरांत बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा आरंभ की गई। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की तिमाही के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 89वीं तिमाही बैठक 06.09.2024 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त अकादमी के सभी संकाय सदस्यों/अधिकारियों एवं कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित करा दिया गया था। चर्चा के दौरान इस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ; अत: अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

मद सं. 2 : पिछली तिमाही (1 जुलाई से 30 सितंबर 2024) की तिमाही-रिपोर्ट की समीक्षा –

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की तिमाही की राजभाषा विषयक रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि अकादमी द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम-5 का पूर्णत: अनुपालन किया जा रहा है तथा अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का भी उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि विगत तिमाही के दौरान अकादमी से 'क' क्षेत्र के साथ 94.60%, 'ख' क्षेत्र के साथ 91.54% और 'ग' क्षेत्र के साथ 93.65% पत्राचार हिन्दी में किया गया जबकि इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 100%, 100% तथा 65% है। यह भी अवगत कराया गया कि मंत्रालय द्वारा भी इस तिमाही की रिपोर्ट की समीक्षा में लगभग सभी बिन्दुओं पर संतोष व्यक्त किया गया है।

क्रमश:……

मद सं. 4 : अन्य विषय

इस बिन्दु के अंतर्गत विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

i) अकादमी में पहले से चल रहे इलैक्टॉनिक डिस्प्ले बोर्डों में ही 'आज का शब्द' और यथासंभव 'आज का विचार' जैसी सामग्री को दर्शाया जा सकता है। इसके लिए राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक माह एक सूची तैयार कर आईटी अनुभाग को उपलब्ध करायी जाएगी जिसे इन बोर्डों / डिस्प्ले पर दर्शाया जा सकेगा।

(कार्रवाई- राजभाषा अनुभाग एवं प्रभारी (आईटी)

ii) हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अकादमी की प्रगति की सही और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभिन्न अनुभागों में भी रिकॉर्ड रखा जाना सुनिश्चित किया जाए और मासिक रिपोर्ट तैयार कर राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए। समस्त प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों/ऑपरेटरों को राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने, उसी के अनुसार सभी दस्तावेज हिंदी अथवा द्विभाषी तैयार करने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी इसका अनुसरण करें। **(कार्रवाई- समस्त प्रभारी अधिकारी एवं राजभाषा अनुभाग)**

iii) पुस्तकालय में कुल पुस्तकों पर व्यय का 50% हिन्दी की पुस्तकों पर व्यय किए जाने की दिशा में सामग्री के उचित वर्गीकरण की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार पुस्तकालय समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

(कार्रवाई- प्रभारी अधिकारी (पुस्तकालय) एवं पुस्त.सू.अधिकारी)

iv) अकादमी की हिंदी पत्रिका 'अरण्य' के लंबित संस्करण को ई-संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जाए और इसमें यथाआवश्यकता अन्य भाषाओं की मूल रचनाओं / परिवीक्षार्थियों के संस्मरण आदि भी शामिल किए जा सकते हैं।

(कार्रवाई- राजभाषा प्रभारी/राजभाषा अनुभाग)

अंत में राजभाषा अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(मुकुल त्रिवेदी / Mukul Trivedi)
प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी (रा.भा.) / Professor & OIC-O.L.

वितरण (सूचना एवं कार्रवाई हेतु) –

1. निदेशक एवं अपर निदेशक के वैय. सहायक - महोदय के सूचनार्थ
2. अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति - सूचनार्थ एवं 3(ii) व 5(iii) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
3. प्राध्यापक (अकादमिक) - सूचनार्थ एवं 3(ii) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
4. समस्त संकाय सदस्य एवं अधिकारीगण - सूचनार्थ और उपर्युक्तानुसार कार्रवाई हेतु
5. अपर प्राध्यापक (प्रशासन) - उक्त मद सं. 3(iii) व 3(iv) पर कार्रवाई कराने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी (पुस्तकालय) - सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार कार्रवाई हेतु।
7. सहायक (कार्यालय) - सूचनार्थ और सभी कार्मिकों के संज्ञान में लाने हेतु
8. आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
9. समस्त सूचनापट्ट (अकादमी)